

307
शु

पत्रावली पेश हुई। वकील वादी व वादी को आवाज लगाई गई। बार-बार आवाज लगाने के बावजूद भी वकील वादी व वादी न्यायालय में हाजिर नहीं होने पर वादी का वाद अदम हाजरी अदम परबी में खारिज मिया जाता है। पत्रावली फसल शुमार होकर नम्बर कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

Manoj

उपखण्ड अधिकारी
दांतारामगढ़